

**कार्यालय—डॉ. रविकान्त सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास (म.प्र.)**

**:: संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष, 2024 ::**

(अन्तर्गत धारा 14 एवं 15 द.प्र.सं.)

क्रमांक 46 / सीजेएम / 2024

देवास, दिनांक 21.02.2024

मैं डॉ. रविकान्त सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 14 एवं 15 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के पालन में इस संबंध में पूर्व में जारी समरत आपराधिक कार्य विभाजन आदेश को अधिष्ठित (**Supersede**) कर, संशोधन करते हुए जिला देवास में पदरथ समरत न्यायिक मजिस्ट्रेट को निम्नानुसार अधिकार क्षेत्र आवंटित करते हुए जिला देवास से उत्पन्न होने वाले प्रकरणों में विधिवत् संज्ञान लेने एवं समरत अनुषंगिक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत करता हूँ :—

यह कार्य विभाजन आदेश प्रसारित होते ही तत्काल प्रभावशील होगा।

क. न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम/पद

प्रकरणों का स्वरूप एवं क्षेत्राधिकार

1 डॉ. रविकान्त सोलंकी,  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला  
देवास (म.प्र.)

- 1 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, देवास द्वारा अंतरित मामले।
- 2 आरक्षी केन्द्र कोतवाली, सिविल लाईन औद्योगिक क्षेत्र, यातायात, जी.आर.पी. देवास से संबंधित आपराधिक प्रकरणों की समरत कार्यवाहियों एवं अपराधों का संज्ञान (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध के मामले एवं घरेलू हिंसा से संबंधित मामले छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
- 3 आरक्षी केन्द्र कोतवाली, सिविल लाईन, औद्योगिक क्षेत्र, देवास से संबंधित म.प्र.आबकारी विभाग से उत्पन्न होने वाले समरत प्रकरण।
- 4 आबकारी वृत्त, देवास से संबंधित म.प्र.आबकारी अधिनियम से उत्पन्न होने वाले समरत प्रकरण।
- 5 सम्पूर्ण जिला देवास से संबंधित खारिजी प्रकरण एवं जिला मुख्यालय देवास के समरत थाना क्षेत्रों के एफ.आर. प्रकरण (तहसील न्यायालय सोनकच्छ, टोकखुर्द, बागली, कन्नौद एवं खातेगाँव को छोड़कर)
- 6 जिला देवास की राजस्व तहसील टोकखुर्द, सोनकच्छ, बागली, कन्नौद, खातेगाँव, सतवास, हाटपीपल्या को छोड़कर समरत जिले के निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न दांडिक प्रकरण –
  - A इग्स + कार्मेटिक अधिनियम
  - B खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954
  - C दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958
  - D नापतौल अधिनियम से संबंधित मामले।
- 7 जिला देवास से संबंधित श्रम विभाग से उत्पन्न होने वाले समरत दांडिक प्रकरण।
- 8 नगर निगम, देवास द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दांडिक मामलों की समरत कार्यवाहियों।
- 9 कृषि उपज मंडी अधिनियम से उद्भूत समरत दांडिक प्रकरण।
- 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी देवास द्वारा मोटर यान अधिनियम के

- अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।
- 11 सम्पूर्ण जिले से उद्भूत ऐसे ओवर लोडिंग के समस्त प्रकरण एवं ऐसे प्रकरण जिनमें एक धारा में 10,000/- रूपये से अधिक के जुर्माना से दण्डनीय होने वाले प्रकरणों का विचारण।
- 12 सम्पूर्ण देवास जिला में पदरथ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लम्बित प्रकरणों से संबंधित धारा 410 द.प्र.स. के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
- 13 वन परिक्षेत्र, देवास (मुख्यालय) द्वारा भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी सरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the Special Tiger Strike force units को छोड़कर) एवं अन्य सभी वन संबंधी विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दांडिक प्रकरण।  
**नोट-** (Forest laws and Mining Laws के प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के मेमोरेण्डम क. सी./1864 / 111-6-6-90 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 में दिये गये निदेशानुसार कार्य विभाविज किये गये)
- 14 पुलिस थाना कोतवाली, सिविल लाईन, बी.एन.पी., औद्योगिक क्षेत्र, नाहर दरवाजा, बरोठा, विजयार्गंज मण्डी से संबंधित भारतीय खनन अधिनियम एवं अन्य सभी खनन संबंधी विधियों से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण।
- 15 पुलिस थाना कोतवाली, सिविल लाईन, बी.एन.पी. औद्योगिक क्षेत्र, नाहर दरवाजा, बरोठा, विजयार्गंज मण्डी से उद्भूत होने वाले Environment (Protection) Act, 1986 से संबंधित परिवाद प्रकरण एवं उक्त अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
- 16 जिला मुख्यालय देवास से (तहसील न्यायालय सोनकच्छ, टॉकखुर्द, बागली, कन्नौद एवं खातेगाँव को छोड़कर) संबंधित म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण।
- 17 जिला मुख्यालय देवास से (तहसील न्यायालय सोनकच्छ, टॉकखुर्द, बागली, कन्नौद एवं खातेगाँव को छोड़कर) उत्पन्न एवं प्रस्तुत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत समस्त अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र।
- 18 सम्पूर्ण देवास जिला से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अन्तर्गत समस्त कार्यवाहियों।
- 19 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 322, 325 के अन्तर्गत विभिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा प्रेषित प्रकरण।
- 20 जिला देवास से उद्भूत अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरण व अन्य ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अन्य किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवंटित नहीं किया गया है।
- 2 श्रीमती नेहा पाराशर, 1 सम्पूर्ण जिले से उद्भूत होने वाले किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, जिला देवास समस्त प्रकार के प्रकरण।
- 3 II CJ-L 1 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।  
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/न्यायाधिकारी ग्राम

		न्यायालय देवास
4	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय जनपद पंचायत, देवास	म.प्र.शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.10.09 पत्र क. 17(ई) 43 / 2009 / 21-बी (एक) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत सिविल जिला देवास के राजस्व तहसील देवास की क्षेत्रीय अधिकार के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतों से उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, देवास तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्र अन्तर्गत आने वाले आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र ग्राम न्यायालय अधिनियम संबंधी।
5	III CJ-I न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
6	सुश्री रश्मि खुराना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	<p>1 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2 आरक्षी केन्द्र बैंक नोट प्रेस देवास से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी, एफ.आर. एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।</p> <p>3 आरक्षी केन्द्र बैंक नोट प्रेस से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।</p> <p>4 आरक्षी केन्द्र बैंक नोट प्रेस से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र।</p> <p>5 आरक्षी केन्द्र बैंक नोट प्रेस, सिविल लाईन देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद।</p>
7	श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	<p>1 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2 आरक्षी केन्द्र नाहर दरवाजा देवास से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी, एफ.आर. एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।</p> <p>3 आरक्षी केन्द्र नाहर दरवाजा से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।</p> <p>4 आरक्षी केन्द्र नाहर दरवाजा से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र।</p> <p>5 आरक्षी केन्द्र नाहर दरवाजा, कोतवाली देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद।</p>

		6	जिला मुख्यालय देवास के (तहसील न्यायालय सोनकच्च, टोकचुर्द, बागली, कन्नौद एवं खातेगाँव को छोड़कर) क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत Lynching & Mob violence से संबंधित प्रकरण।
8	श्री अब्दुल अजहर अंसारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
		2	आरक्षी केन्द्र विजयागंज मंडी जिला देवास से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी, एफ.आर. एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
		3	आरक्षी केन्द्र विजयागंज मंडी जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.स. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
		4	आरक्षी केन्द्र विजयागंज मंडी जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र।
		5	आरक्षी केन्द्र विजयागंज मंडी एवं औद्योगिक क्षेत्र, देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद।
		6	आरक्षी केन्द्र विजयागंज मंडी जिला देवास से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर)।
9	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
		2	आरक्षी केन्द्र बरोठा जिला देवास से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी, एफ.आर. एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
		3	आरक्षी केन्द्र बरोठा जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
		4	आरक्षी केन्द्र बरोठा जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र।
		5	आरक्षी केन्द्र बरोठा जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद।

10 श्रीमती आफरीन युसुफजाई,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
देवास

11 श्री सौरभ जैन,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी,  
प्रशिक्षु न्यायाधीश, देवास

12 सुश्री पारुल जैन,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी,  
प्रशिक्षु न्यायाधीश, देवास

13 सुश्री संध्या मुदगल  
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी,  
प्रशिक्षु न्यायाधीश, देवास

### सोनकच्छ

14 कु. स्वाति बजाज,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
सोनकच्छ, जिला देवास

1 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।

2 महिला पुलिस थाना, देवास एवं आरक्षी केन्द्र कोतवाली,  
सिविल लाईन, औद्योगिक क्षेत्र, बैंक नोट प्रेस, नाहर  
दरवाजा देवास एवं थाना बरोठा, विजयागंज मण्डी से  
उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध से संबंधित  
समस्त प्रकार के अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा  
से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं द.प्र.सं.  
की धारा 125 से 128 द.प्र.सं. से संबंधित समस्त प्रकरण।

1 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।

2 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।

3 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।

1 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।

2 आरक्षी केन्द्र सोनकच्छ जिला देवास से संबंधित  
आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों  
की समस्त कार्यवाहियों, अपराधों का संज्ञान, एफ.आर.  
(खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को  
छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत  
आवेदन पत्र

3 आरक्षी केन्द्र सोनकच्छ जिला देवास से संबंधित धारा 176  
(5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.स. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के  
कारणों की जाँच।

4 आरक्षी केन्द्र सोनकच्छ जिला देवास से संबंधित म.प्र.  
आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त  
अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र, एफ.आर।

5 आरक्षी केन्द्र सोनकच्छ जिला देवास के क्षेत्राधिकार से  
उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम,  
1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर।

6 आरक्षी केन्द्र सोनकच्छ, के धारा 125 से 128 द.प्र.सं. से  
संबंधित समस्त प्रकरण।

7 न्यायालय सोनकच्छ के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों  
से उद्भूत पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ  
सेक्स सिलेक्शन एक्ट, 1994 से संबंधित प्रकरण।

8 न्यायालय सोनकच्छ के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों  
से उद्भूत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, दुकान

- स्थापना अधिनियम, औषधी विभाग, Environment Protection Act) 1986, नाप-तोल विभाग, नगर पालिका, कृषि उपज मंडी अधिनियम (समिति द्वारा प्रस्तुत), सेन्ट्रल एक्साईज, मेंटल हेल्थ से संबंधित समस्त दाण्डिक प्रकरण।
- 9 न्यायालय सोनकच्छ के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उदभूत Lynching & Mob violence से संबंधित प्रकरण।
- 10 न्यायालय सोनकच्छ के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उदभूत भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य सभी वन संबंधी विधियों तथा भारतीय खनन अधिनियम एवं अन्य सभी खनन संबंधी विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दाण्डिक प्रकरण।
- 1 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
- 2 आरक्षी केन्द्र सोनकच्छ, भौंरासा एवं पीपलरावॉ से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद, प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ एवं एफ.आर. (खारिजी मामलों को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
- 3 आरक्षी केन्द्र भौंरासा एवं पीपलरावॉ जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.स. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
- 4 आरक्षी केन्द्र भौंरासा एवं पीपलरावॉ से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र।
- 5 आरक्षी केन्द्र भौंरासा एवं पीपलरावॉ जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर.।
- 6 आरक्षी केन्द्र सोनकच्छ, भौंरासा एवं पीपलरावॉ के घरेतू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं आरक्षी केन्द्र भौंरासा, पीपलरावॉ से उदभूत धारा 125 से 128 द.प्र.सं. से संबंधित समस्त प्रकरण।
- टोंकखुर्द**
- 1 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
- 2 आरक्षी केन्द्र टोंकखुर्द एवं भौंरासा से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद, एफ.आर. एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ, (खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
- 3 आरक्षी केन्द्र टोंकखुर्द एवं भौंरासा जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.स. 1973 के

- अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
- 4 आरक्षी केन्द्र टोंकखुर्द एवं भौंरासा जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र, एफआर।
  - 5 आरक्षी केन्द्र टोंकखुर्द एवं भौंरासा जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफआर।
  - 6 न्यायालय टोंकखुर्द के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एकट प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एकट, 1994 से संबंधित प्रकरण।
  - 7 न्यायालय टोंकखुर्द के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, औषधी विभाग, Environment (Protection Act) 1986, नाप-तोल विभाग, नगर पालिका, कृषि उपज मंडी अधिनियम (समिति द्वारा प्रस्तुत), सेन्ट्रल एक्साइज, मेटल हेल्थ से संबंधित समस्त दाण्डिक प्रकरण।
  - 9 न्यायालय टोंकखुर्द के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत Lynching & Mob violence से संबंधित प्रकरण।
  - 10 न्यायालय टोंकखुर्द के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य सभी वन संबंधी विधियों तथा भारतीय खनन अधिनियम एवं अन्य सभी खनन संबंधी विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दांडिक प्रकरण। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय को है।
  - 1 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
  - 2 आरक्षी केन्द्र टोंकखुर्द, मक्सी, पीपलरावाँ एवं भौंरासा से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों के आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद, एफआर. एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ। (खारिजी को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
  - 3 आरक्षी केन्द्र टोंकखुर्द, मक्सी, पीपलरावाँ एवं भौंरासा के घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं धारा 125 से 128 द.प्र.सं. से संबंधित समस्त प्रकरण।
  - 4 आरक्षी केन्द्र पीपलरावाँ एवं मक्सी जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.स. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
  - 5 आरक्षी केन्द्र पीपलरावाँ एवं मक्सी जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र, एफआर।
- 17 सुश्री श्वेता खरे,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
टोंकखुर्द, जिला देवास

- 6 आरक्षी केन्द्र पीपलरावा एवं मक्सी जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर।

### **बागली**

18 श्री राकेश कुमार जाटव,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बागली, जिला देवास

- 1 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
- 2 आरक्षी केन्द्र हाटपीपल्या से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ, एफ.आर. एवं अपराधों का सज्जान (खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
- 3 आरक्षी केन्द्र हाटपीपल्या जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.स. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जांच।
- 4 आरक्षी केन्द्र हाटपीपल्या जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र, एफआर।
- 5 आरक्षी केन्द्र हाटपीपल्या जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर।
- 6 न्यायालय बागली के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट, 1994 से संबंधित प्रकरण।
- 7 न्यायालय बागली के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, औषधी विभाग, Environment (Protection Act) 1986, नाप-तोल विभाग, नगर पालिका, कृषि उपज मंडी अधिनियम (समिति द्वारा प्रस्तुत), सेन्ट्रल एक्साईज, मेटल हेल्प से संबंधित समस्त दाण्डिक प्रकरण।
- 8 न्यायालय बागली के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत Lynching & Mob violence से संबंधित प्रकरण।
- 9 न्यायालय बागली के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य सभी वन संबंधी विधियों तथा भारतीय खनन अधिनियम एवं अन्य सभी खनन संबंधी विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दांडिक प्रकरण। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय को है।
- 1 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
- 2 आरक्षी केन्द्र हाटपीपल्या, उदयनगर से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ, एफ.आर. एवं अपराधों का सज्जान

19 श्रीमती वीणा अग्निहोत्री,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बागली, जिला देवास

(खारिजी को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।

- 3 आरक्षी केन्द्र बागली, हाटपीपल्या एवं उदयनगर से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों के आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ, एफ.आर. (खारिजी को छोड़कर)।
- 4 आरक्षी केन्द्र बागली, हाटपीपल्या, उदयनगर के घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं धारा 125 से 128 द.प्र.सं. से संबंधित समस्त प्रकरण।
- 5 आरक्षी केन्द्र हाटपीपल्या, उदयनगर जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
- 6 आरक्षी केन्द्र हाटपीपल्या, उदयनगर जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र, एफ.आर।
- 7 आरक्षी केन्द्र हाटपीपल्या, उदयनगर जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर।

## कन्नौद

20 श्रीमती मीना शाह,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
कन्नौद, जिला देवास

- 1 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
- 2 आरक्षी केन्द्र कन्नौद से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ, एफ.आर. (खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
- 3 आरक्षी केन्द्र कन्नौद जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
- 4 आरक्षी केन्द्र कन्नौद जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र, एफ.आर।
- 5 आरक्षी केन्द्र कन्नौद जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर।
- 6 न्यायालय कन्नौद के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट, 1994 से संबंधित प्रकरण।
- 7 न्यायालय कन्नौद के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, औषधी विभाग, Environment (Protection Act) 1986, नाप-तोल विभाग, नगर पालिका, कृषि उपज मंडी अधिनियम (समिति द्वारा प्रस्तुत), सेन्ट्रल एक्साइज,

		मेटल हेल्थ से संबंधित समस्त दांडिक प्रकरण।
8		न्यायालय कन्नौद के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत Lynching & Mob violence से संबंधित प्रकरण।
9		न्यायालय कन्नौद के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी सरक्षण अधिनियम एवं अन्य सभी वन संबंधी विधियों तथा भारतीय खनन अधिनियम एवं अन्य सभी खनन संबंधी विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दांडिक प्रकरण। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय को है।
10	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय जनपद पंचायत कन्नौद	म.प्र.शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.10.09 पत्र क. 17(ई) 43 / 2009 / 21—बी (एक) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत सिविल जिला देवास के राजस्व तहसील कन्नौद की क्षेत्रीय अधिकार के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतों से उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, कन्नौद तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्र अन्तर्गत आने वाले आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र ग्राम न्यायालय अधिनियम संबंधी।
21	सुश्री नंदिता उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद	<p>1 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2 आरक्षी केन्द्र सतवास से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ, एफ.आर. एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।</p> <p>3 आरक्षी केन्द्र सतवास, कॉटाफोड एवं कन्नौद से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों के आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ, एफ.आर. एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी को छोड़कर) एवं धारा 125 से 128 द.प्र.सं. से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>4 आरक्षी केन्द्र सतवास जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.स. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।</p> <p>5 आरक्षी केन्द्र सतवास जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग—पत्र एवं परिवाद पत्र, एफआर.।</p> <p>6 आरक्षी केन्द्र सतवास जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर.।</p> <p>7 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।</p>
22	श्रीमती हर्षिता सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	

## कन्नौद

- 2 आरक्षी केन्द्र कॉटाफोड से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ, एफ.आर., अपराधों का संज्ञान एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र,(खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर)
- 3 आरक्षी केन्द्र कॉटाफोड जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.स. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
- 4 आरक्षी केन्द्र कॉटाफोड जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग—पत्र एवं परिवाद पत्र, एफ.आर.
- 5 आरक्षी केन्द्र कॉटाफोड जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर।

## खातेगाँव :

23 श्रीमती संचिता भद्रकारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगाँव, जिला देवास

- 1 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
- 2 आरक्षी केन्द्र खातेगाँव से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ, एफ.आर. एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र। (खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर)
- 3 आरक्षी केन्द्र खातेगाँव, नेमावर, हरणगाँव से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों के आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ, एफ.आर. एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी को छोड़कर) एवं धारा 125 से 128 द.प्र.सं. से संबंधित समस्त प्रकरण।
- 4 आरक्षी केन्द्र खातेगाँव जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.स. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
- 5 आरक्षी केन्द्र खातेगाँव जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग—पत्र एवं परिवाद पत्र, एफआर.
- 6 आरक्षी केन्द्र खातेगाँव जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर।
- 7 न्यायालय खातेगाँव के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट, 1994 से संबंधित प्रकरण।
- 8 न्यायालय खातेगाँव के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, औषधी विभाग, Environment (Protection Act) 1986, नाप-तोल विभाग, नगर पालिका,

- कृषि उपज मंडी अधिनियम (समिति द्वारा प्रस्तुत), सेन्ट्रल एक्साईज, मेंटल हेल्थ से संबंधित समस्त दांडिक प्रकरण।
- 9 न्यायालय खातेगाँव के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत Lynching & Mob violence से संबंधित प्रकरण।
- 10 न्यायालय खातेगाँव के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी सरक्षण अधिनियम एवं अन्य सभी वन संबंधी विधियों तथा भारतीय खनन अधिनियम एवं अन्य सभी खनन संबंधी विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दांडिक प्रकरण। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय को है।
- 24 श्री राजू पन्द्रे  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
खातेगाँव, जिला देवास
- 1 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
- 2 आरक्षी केन्द्र नेमावर व हरणगाँव से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ, एफ.आर. (खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
- 3 आरक्षी केन्द्र नेमावर व हरणगाँव जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.स. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जांच।
- 4 आरक्षी केन्द्र नेमावर व हरणगाँव जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र, एफआर।
- 5 आरक्षी केन्द्र नेमावर व हरणगाँव जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफआर।

#### नोट : कमांक-1

:: धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कथन एवं संस्वीकृतियाँ ::

महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोक्त्री के धारा-164 की उपधारा (5-क) द.प्र.स. के अन्तर्गत उल्लेखित एवं पॉक्सो अधिनियम में विचारणीय अपराधों के कथनों को छोड़कर शेष अपराधों के संबंध में धारा-164 द.प्र.स. के कथन अंकित किए जाने हेतु निम्नांकित मजिस्ट्रेट को दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार कथन लिये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है :-

क.	मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद	क्षेत्राधिकारी (आरक्षी केन्द्र)
1.	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	थाना कोतवाली एवं सिविल लाइन, अ.जा.क. देवास
2.	श्री अब्दुल अजहर अंसारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	अ- थाना बैंक नोट प्रेस, औद्योगिक क्षेत्र से उद्भूत मामले। ब- थाना कोतवाली, सिविल लाइन, औद्योगिक क्षेत्र,

3. श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास
4. श्रीमती आफरीन युसुफजई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास
5. कु. स्वाति बजाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ देवास
6. सुश्री निकिता पवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास
7. श्री बुदेसिंह सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोंकखुर्द जिला देवास
8. सुश्री श्वेता खरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोंकखुर्द जिला देवास
9. श्री राकेश कुमार जाटव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागली जिला देवास
10. श्रीमती वीणा अग्निहोत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोंकखुर्द जिला देवास
11. श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद जिला देवास
12. श्रीमती नंदिता उर्ईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद जिला देवास
13. श्रीमती संचिता भदकारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगाँव जिला देवास
14. श्री राजू पन्द्रे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगाँव जिला देवास

बरोठा से उद्भूत ऐसे अपराध जिनके अभियोग पत्र किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे। थाना बरोठा, विजयागंज मण्डी, नाहर दरवाजा।

पुलिस थाना बी.एन.पी., नाहर दरवाजा, विजयागंज मण्डी से उद्भूत ऐसे अपराध जिनके अभियोग पत्र किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे। थाना भौंरासा, पीपलरावॉ।

थाना सोनकच्छ।

थाना पीपलरावॉ एवं मकरी

बागली, उदयनगर

हाटपीपल्या

थाना सतवास

थाना कन्नौद एवं कॉटाफोड़

थाना नेमावर एवं हरणगाँव

थाना खातेगाँव

**नोट- क्रमांक 02 :** महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोक्त्री के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा 5(क) के अन्तर्गत उल्लेखित विचारणीय अपराधों के संबंध में मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय प्रकरणों में धारा 164 द.प्र.स. के कथन अंकित किए जाने हेतु निम्नांकित मजिस्ट्रेट को दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार कथन अंकित किये जाने हेतु

अधिकृत किया जाता है :-

क.	मजस्ट्रेट का नाम एवं पद	क्षेत्राधिकारी (आरक्षी केन्द्र)
1.	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	महिला थाना, थाना कोतवाली, सिविल लाइन एवं थाना औद्योगिक क्षेत्र।
2.	सुश्री रश्मि खुराना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास।	थाना बैंक नोट प्रेस, नाहर दरवाजा, बरोठा, विजयांगज मंडी, थाना अ.जा.क।
3	कु. स्वाति बजाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ जिला देवास	थाना सोनकच्छ, भौंरासा एवं पीपलरावँ।
4	श्री बुदेसिंह सोलंकी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोंकखुर्द	थाना टोंकखुर्द, मकसी, भौंरासा एवं पीपलरावँ।
5	श्री राकेश जाटव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागली	थाना हाटपीपल्या, बागली, उदयनगर
6	श्रीमती हर्षिता सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद	थाना कन्नौद, सतवास एवं कॉटाफोड
7	श्रीमती संचिता भद्रकारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगाँव जिला देवास	थाना खातेगाँव, नेमावर एवं हरणगाँव

### नोट-क.-03 :

महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोकत्री के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा 5(क)के अन्तर्गत उल्लेखित एवं पॉक्सो अधिनियम में विचारणीय अपराधों के संबंध में (मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) धारा 164 द.प्र.स. के कथन अंकित किए जाने हेतु निम्नांकित मजिस्ट्रेट को दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार कथन अंकित किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है :-

क.	मजस्ट्रेट का नाम एवं पद	क्षेत्राधिकारी (आरक्षी केन्द्र)
1.	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	महिला थाना एवं थाना कोतवाली, सिविल लाइन, औद्योगिक क्षेत्र।
2.	सुश्री रश्मि खुराना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास।	थाना बैंक नोट प्रेस, नाहर दरवाजा, बरोठा, विजयांगज मंडी, थाना अ.जा.क।
3	कु. स्वाति बजाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ देवास	थाना सोनकच्छ, भौंरासा, पीपलरावँ।
4	श्री बुदेसिंह सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोंकखुर्द	थाना टोंकखुर्द, मकसी, भौंरासा एवं पीपलरावँ।
5	श्री राकेश जाटव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागली	थाना हाटपीपल्या, बागली, उदयनगर
6	श्रीमती हर्षिता सोनी, न्यायिक	थाना कन्नौद, सतवास एवं कॉटाफोड

**मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद**

- 7 श्रीमती संचिता भदकारिया, थाना खातेगाँव, नेमावर एवं हरणगाँव  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
खातेगाँव जिला देवास

सार्वजनिक अवकाश के दिनों में धारा 164 द.प्र.स. के तहत कथन अभिलिखित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होने पर रिमांड कार्यवाही सम्पन्न करने वाले न्यायालय द्वारा उक्त कथन अभिलिखित किये जावेंगे।

धारा-164 द.प्र.स. के कथन हेतु अधिकृत न्यायिक अधिकारी के मुख्यालय से बाहर रहने या अवकाश पर होने या अन्य किसी कारणवश कथन लेने में असमर्थ होने पर उनका प्रभार, प्रभार अनुसूची कमांक-“क” के अनुसार (संबंधित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय को छोड़कर) माना जवेगा।

**प्रभार**

क- निम्नलिखित तालिका के प्रथम स्तंभ में अंकित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति/न्यायालय के रिक्त होने/अवकाश पर रहने की दशा में निम्नानुसार द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्तंभ में अंकित मजिस्ट्रेट के द्वारा आवश्यक दांडिक कार्य संपादित किए जावेंगे :—

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम / पद	अवकाश या कर्तव्य पर अनुपस्थित की दशा में कार्यभारित पीठासीन अधिकारी का नाम / पद			
		कॉलम-1	कॉलम-2	कॉलम-3	कॉलम-4
1	डॉ. रविकांत सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास	सुश्री रश्मि खुराना जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम. एफ.सी. देवास	श्री अब्दुल अजहर अंसारी,जे.एम.एफ. सी. देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. देवास
2	सुश्री रश्मि खुराना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे जे.एम. एफ.सी. देवास	श्री अब्दुल अजहर अंसारी,जे.एम.एफ. सी. देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, जे.एम.एफ. सी. देवास	श्रीमती आफरीन युसुफजई ,जे.एम.एफ. सी. देवास
3	श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	श्री अब्दुल अजहर अंसारी,जे.एम.एफ. सी. देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल,जे.एम.एफ. सी. देवास	श्रीमती आफरीन युसुफजई जे.एम.एफ.सी. देवास	सुश्री रश्मि खुराना जे.एम.एफ.सी. देवास
4	श्री अब्दुल अजहर अंसारी, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे जे.एम. एफ.सी. देवास	सुश्री रश्मि खुराना,जे.एम.एफ. सी. देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल,जे.एम.एफ. सी. देवास	श्रीमती आफरीन युसुफजई ,जे.एम.एफ. सी. देवास
5	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	श्री अब्दुल अजहर अंसारी, जे.एम.एफ. सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे,जे.एम. एफ.सी. देवास	श्रीमती आफरीन युसुफजई,जे.एम.ए.फ.सी. देवास	सुश्री रश्मि खुराना,जे.एम.एफ.सी. देवास
6	श्रीमती आफरीन युसुफजई, जे.एम.एफ. सी. देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल,जे.एम.एफ. सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम. एफ.सी. देवास	सुश्री रश्मि खुराना, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री अब्दुल अजहर अंसारी,जे.एम.एफ.सी. देवास
7	श्री सौरभ जैन,न्यायिक मजि. द्वितीय श्रेणी, प्रशिक्षु न्यायाधीश, देवास	सुश्री पारूल जैन, न्यायिक मजि. द्वितीय श्रेणी,प्रशिक्षु न्याया., देवास	सुश्री संध्या मुदगल, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, प्रशिक्षु न्यायाधीश,देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, जे.एम.एफ. सी. देवास	श्रीमती आफरीन युसुफजई ,जे.एम.एफ.सी. देवास
8	सुश्री पारूल जैन,	सुश्री संध्या मुदगल, न्यायिक मजिस्ट्रेट	श्री सौरभ जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट	श्रीमती आफरीन युसुफजई ,	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. देवास



18	<b>सुश्री हर्षिता सोनी</b> न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कन्नौद	सुश्री नंदिता उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्रीमती मीना शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्री राजू पन्द्रे, न्या. मजि. प्रथम श्रेणी खातेगांव	श्रीमती संचिता भदकारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव
----	------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

**खातेगाँव :**

19	<b>श्रीमती संचिता भदकारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</b>	श्री राजू पन्द्रे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव	श्रीमती मीना शाह न्या. मजि. प्रथम श्रेणी कन्नौद	सुश्री हर्षिता सोनी न्या. मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	सुश्री नंदिता उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद
20	<b>श्री राजू पन्द्रे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव</b>	श्रीमती संचिता भदकारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव	सुश्री हर्षिता सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	सुश्री नंदिता उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्रीमती मीना शाह न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी कन्नौद

**ख-** किशोर न्याय बोर्ड देवास में किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के अवकाश / मुख्यालय से बाहर / पद रिक्त अथवा स्थानांतरण होने की दशा में **निम्नलिखित कमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्तंभ** के मजिस्ट्रेट द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के न्यायालय के आवश्यक कार्य संपादित किए जावेंगे।

**:: सामान्य निर्देश ::**

01. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के सुनवाई / क्षेत्राधिकार के मामलों में यह कार्य विभाजन पत्र प्रभावी नहीं होगा।
02. न्यायालयों में पूर्व से विचारण हेतु लंबित प्रकरणों को यह कार्य विभाजन आदेश प्रभावित नहीं करेगा।
03. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी अनुपस्थिति में प्रभार सूची कमांक-“क” के अनुसार आवश्यक आपराधिक कार्य जैसे तात्पर्य रिमाण्ड, जमानत, उपस्थिति माफी आवेदन, वाहन सुपुर्दनामा आवेदन पत्रों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों से सशक्त होने पर समरी प्रक्रिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करना चाहते हैं, का संपादन किया जावेगा।
04. इस कार्य विभाजन आदेश के अंतर्गत जिन मजिस्ट्रेट को नए थाना / क्षेत्राधिकार आवंटित किए गए हैं उन थानों से संबंधित लंबित रिमाण्ड, सुपुर्दगी एवं अन्य पत्रावली अविलंब संबंधित नए क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों को प्रेषित किये जावें।
05. मुख्यालय देवास में रिक्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों के एवं आरक्षी केन्द्र अंकित न होने की दशा में सभी तरह के अपराधों / प्रकरणों के गिरफ्तारी वारंटो / स्थाई गिरफ्तारी वारंटो एवं अपील / रिवीजन पश्चात जो आदेश / निर्देश वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त होते हैं उनके संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्यालय देवास में सुश्री रश्मि खुराना जे.एम.एफ.सी. देवास, तहसील न्यायालय सोनकच्छ में कु. स्वाति बजाज, जे.एम.एफ.सी., तहसील न्यायालय टोंकखुर्द में श्री बुदेसिंह सोलंकी जे.एम.एफ.सी., तहसील न्यायालय बागली में श्री राकेश कुमार जाटव जे.एम.एफ.सी., तहसील न्यायालय कन्नौद में श्रीमती मीना शाह, जे.एम.एफ.सी.एवं तहसील न्यायालय खातेगाँव में श्रीमती संचिता भदकारिया, जे.एम.एफ.स. द्वारा समस्त कार्यवाही की जावेगी।
06. रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों के संबंध में प्रथम रिमाण्ड प्रदान किया जा सकेगा।
07. इस आदेश के निर्वहन में किसी प्रकार भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जावे।
08. देवास नगर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय की व्यवस्था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अथवा सी.जे.एम. के निर्देशानुसार संपादित की जावेगी।

09. देवास जिले की तहसील में पदरथ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यकतानुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त कर संबंधित क्षेत्र में चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
10. जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।
11. आकर्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।
12. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अथवा माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी एवं मुददेमाल भी रिकार्ड के साथ भेजा सुनिश्चित किया जावे।
13. विचाराधीन बण्डल फाईल (रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र) संबंधित आरक्षी केंद्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जेएमएफसी के न्यायालय में भेजे जावे।
14. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के मेमोरेण्डम क्रमांक—1295/सीजे—।।/890 जबलपुर दिनांक 18.11.2013 के पालन में चालान प्रस्तुत किये जाते समय मुददेमाल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
15. प्रकरण को धारा—325 दंप्रसं के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजे जाने के साथ ही जप्तशुदा संपत्ति भी आवश्यक रूप से भेजी जावे।
16. ग्राम न्यायालयों के न्यायाधिकारी के अवकाश या उपलब्ध नहीं होने की दशा में ग्राम न्यायालय का आवश्यक कार्य आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में दर्शाए गए प्रभार सूची अनुसार प्रभारी न्यायिक अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा।
17. धारा 52—क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संबंधित आरक्षी केंद्रों से उद्भूत धारा 52—क आवेदन पत्र का निराकरण प्रभावी कार्य विभाजन/वितरण आदेश अनुसार अपनी क्षेत्राधिकारिता वाले आरक्षी केंद्र का निराकरण करेंगे।
18. श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास स्वयं के थाना क्षेत्रान्तर्गत के अतिरिक्त आरक्षी केंद्र सिटी कोतवाली देवास, थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास, सिविल लाइन देवास (म.प्र.) से प्रस्तुत होने वाले धारा 52—क एन. डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र का निराकरण करेंगे।
19. धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जिस न्यायालय द्वारा अंतिम भरण पोषण आदेश पारित किया गया है, और वह न्यायालय वर्तमान में कार्यरत है, तो उक्त आदेश से संबंधित भरण—पोषण वसूली कार्यवाही अन्तर्गत धारा 125 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता उसी न्यायालय या उसके उत्तरवर्ती न्यायालय में सम्पादित की जावेगी, जिस न्यायालय द्वारा भरण—पोषण का अंतिम आदेश दिया गया है, उक्त न्यायालय के वर्तमान में कार्यरत नहीं होने पर उक्त कार्यवाही उक्त आरक्षी केन्द्र की क्षेत्राधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी जिस आरक्षी केन्द्र से वह विविध प्रकरण उद्भूत हुआ है।

सही /—

डॉ. रविकान्त सोलंकी,  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला देवास (म.प्र.)

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, देवास की ओर अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित


सही /—

अनुमोदित,  
माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास

पृष्ठांकन क्रमांक— 48 / 2024

देवास, दिनांक 21.02.2024

1. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, देवास की ओर सादर सूचनार्थ।
2. माननीय प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय देवास को सादर सूचनार्थ।
3. माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, सोनकछ/बागली/कन्नौद/खातेगाँव की ओर सादर सूचनार्थ।
4. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास/सोनकछ/टोंकखुर्द/बागली/कन्नौद/खातेगाँव की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. निज सचिव, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, देवास की ओर कार्य विभाजन पत्रक माननीय महोदय के समक्ष अवलोकन के लिए प्रस्तुत करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिला मजिस्ट्रेट देवास की ओर सूचनार्थ।
7. पुलिस अधीक्षक, देवास की ओर सूचनार्थ एवं समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
8. बनमण्डलाधिकारी देवास को सूचनार्थ।
9. जिला अभियोजन अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं समस्त ₹०८०००००० को सूचित करने हेतु प्रेषित।
10. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, देवास/सोनकछ/टोंकखुर्द/बागली/कन्नौद/खातेगाँव की ओर सूचनार्थ।
11. श्रम अधिकारी, जिला देवास की ओर सूचनार्थ।
12. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, देवास की ओर सूचनार्थ।
13. जिला आबकारी अधिकारी, देवास की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. निष्पादन लिपिक माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय देवास की ओर सूचनार्थ।
15. निष्पादन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
16. केन्द्रीय पंजीयन लिपिक, कम्प्यूटर अनुभाग देवास/सोनकछ/टोंकखुर्द/बागली/कन्नौद/खातेगाँव की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
17. जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, देवास की ओर उक्त आदेश को जिला न्यायालय, देवास की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोई ई-मेल पर प्रेषित करने हेतु मालनार्थ प्रेषित।

  
(डॉ. रविकंत सालंकी)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जिला देवास म.प्र.

